

निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (RAS) देवगढ़

केम्प नरदास का गुडा

प्र.सं 20/2017 रे.वाद

निर्णय दिनांक 07.05.2018

अनवान

1. श्रीमति किरण व्यास पत्नि मनमोहन व्यास नि. देवगढ़ त. देवगढ़

.....वादीया

बनाम

1. श्री मति झमकु बेवा छोगालाल कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
2. श्री भैरूलाल पिता छोगालाल कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
3. श्रीगोरधनलाल पिता छोगालाल कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
4. श्री बगतावरमल पिता छोगालाल कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
5. श्री नाहरमल पिता हजारीमल कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
6. श्री सोहनलाल पिता हजारीमल कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
7. श्री बाबूलाल पिता हजारीमल कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
8. श्रीमति तुलसी पिता हजारीमल कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
9. श्रीमति पानी देवी पुत्री हजारीमल कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
10. श्रीमति सुशिला देवी पुत्री हजारीमल कलाल नि. मादा की बस्सी देवगढ़
11. श्री अम्बालाल पिता हजारीमल कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
12. श्रीमति केहरीबाई बेवा हजारीमल कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
13. श्री रोशनलाल पिता उम्मेद कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
14. श्री चम्पालाल पिता उम्मेद कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
15. श्री राकेश कुमार पिता उम्मेद कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
16. श्रीमति पुष्पादेवी पुत्री उम्मेद कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
17. श्रीमति गेहरीदेवी बेवा उम्मेद कलाल नि. मादा की बस्सी त. देवगढ़
18. श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमंद

.....प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53 राज. ले. रे. एक्ट

पत्रवाली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प नरदास का गुडा में पेश हुई। तहसीलदार देवगढ़ ने बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया जिसका अवलोकन किया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव उचित प्रतित होता हैं। बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादीया व प्रतिवादी सं. 1 से 17 के संयुक्त खाते की भूमि का बंटवाड़ा निम्न प्रकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खाते भी पृथक पृथक कायम करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम मादा का बस्सी प.ह. नरदास का गुडा त. देवगढ़ में स्थित आराजियात।

1. किरण व्यास पत्नि मनमोहन व्यास के हिस्से व खाते:-

आरजी न.	रकबा	किस्म	लगान
119/3	1.00.05	वाडा 0.06 बीड । 0.14.05	0.18
किता 1	1.00.05		0.18

2. झमकु बेवा छोगालल भेरूलाल गोरधनलाल बगतावरमल पि. छोगालल 16260/45138 रोशनलाल चम्पालाल राकेशकुमार पुष्पा देवी पि. उम्मेदमल गहरी देवी बेवा उम्मेदमल 16260/45138 नाहरमल पि. हजारीमल 72/15046 गेहरी बाई बेवा हजारीमल 69/15046 सोहनलाल बाबुलाल तुलसीदेवी पानी देवी सुशीला देवी अम्बालाल पि. हजारीमल 4065/15046 कलाल के संयुक्त हिस्से व खाते:-

आरजी न.	रकबा	किस्म	लगान
119/1	12.10.15	हक्त ॥ 0.05	0.19
		बीड ॥ 7.15	1.94
		बीड । 4.04.15	1.76
किता 1	12.10.15		3.89

3. किरण व्यास पत्नी मनमोहन व्यास के हिस्से व खाते:-

आरजी न.	रकबा	किस्म	लगान
122/1	0.01.05	हकब ॥	0.04
किता 1	0.01.05		0.04

4. झमकु बेवा छोगालल भेरूलाल गोरधनलाल बगतावरमल पि. छोगालल 4/11 रोशनलाल चम्पालाल राकेशकुमार पुष्पा देवी पि. उम्मेदमल गहरी देवी बेवा उम्मेदमल 4/11 सोहनलाल बाबुलाल तुलसीदेवी पानी देवी सुशीला अम्बालाल पि. हजारीमल 3/11 कलाल के संयुक्त हिस्से व खाते:-

आरजी न.	रकबा	किस्म	लगान
122	0.13.15	हकब ॥	0.52
किता 1	0.13.15		0.52

वादी वादग्रस्त कुलिया भूमि के लगान की 5 गुणा राशि के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेश करें तदनुसार अन्तिम डिफ़ी जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प में नरदास का गुड़ा सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।



सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद
देवगढ़, जिला राजसमंद